



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-04082026-275111
CG-AS-E-04082026-275111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4059]
No. 4059]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

रेल मंत्रालय
(पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे)
अधिसूचना
मालीगांव, 28 जुलाई, 2026

का.आ. 4229(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित परियोजनाओं को, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजना के रूप में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है:

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	विशेष रेलवे परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	कटिहार मंडल : सूरज कमल-कांकी : स्टेशन SJKL-KKA के मध्य किमी 105/6-7 पर स्थित समपार संख्या SK-337 के स्थान पर 2-लेन रेल उपरि पुल (ROB) का निर्माण कार्य।	पश्चिम बंगाल

2.	कटिहार मंडल : कांकी-सूरज कमल : स्टेशन KKA-SJKL के मध्य किमी 108/0-1 पर स्थित समपार संख्या SK-338 के स्थान पर 2-लेन रेल उपरि पुल (ROB) का निर्माण कार्य।	पश्चिम बंगाल
3.	कटिहार मंडल : गुंजरिया-अलुआबाड़ी : किमी 57/7-8 पर स्थित समपार संख्या SK-278 के स्थान पर हलकलबाड़ी से इस्लामपुर, पश्चिम बंगाल को जोड़ने हेतु 2-लेन रेल उपरि पुल (ROB) का निर्माण कार्य।	पश्चिम बंगाल
4.	कटिहार मंडल : गुंजरिया-अलुआबाड़ी : किमी 57/0-1 पर स्थित समपार संख्या SK-277 के स्थान पर शीतलपुर से इस्लामपुर, पश्चिम बंगाल को जोड़ने हेतु 2-लेन रेल उपरि पुल (ROB) का निर्माण कार्य।	पश्चिम बंगाल
5	कटिहार मंडल : रायगंज-बामनग्राम : स्टेशन रायगंज (RGJ) से बामनग्राम (BMGR) के मध्य किमी 22/1-2 पर स्थित समपार संख्या BR-11 के स्थान पर 2-लेन रेल उपरि पुल (ROB) का निर्माण कार्य।	पश्चिम बंगाल
6	कटिहार मंडल : कालियागंज-दलीमगांव : स्टेशन कालियागंज से दलीमगांव के मध्य किमी 41/9-0 पर स्थित समपार संख्या BR-22 के स्थान पर 2-लेन रेल उपरि पुल (ROB) का निर्माण कार्य।	पश्चिम बंगाल

[फा. सं. जीएसयू/एमआईएससी/2026/9]

राम मूर्ति मीणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गतिशक्ति/कटिहार(LA)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Northeast Frontier Railway)****NOTIFICATION**

Maligaon, the 28th July, 2026

S.O. 4229.— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project, as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the said table with effect from the date of publication of these notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

Sl. No.	Name of the Special Railway Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	KATIHAR DIVISION: SURJA KAMAL-KANKI: Construction of 2 LANE ROB in lieu of LC NO. - SK-337, AT KM 105/6-7, BETWEEN STATION SJKL-KKA	West Bengal
2.	KATIHAR DIVISION: KANKI- SURJA KAMAL: Construction of 2 LANE ROB in lieu of LC NO. - SK-338, AT KM 108/0-1, BETWEEN STATION KKA-SJKL	West Bengal
3.	KATIHAR DIVISION: GUNJARIA-ALUABARI CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. SK 278, AT KM 57/7-8, CONNECTING ROAD HALKALBARI TO ISLAMPUR, WB	West Bengal
4.	KATIHAR DIVISION: GUNJARIA-ALUABARI CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. SK 277, AT KM 57/0-1, CONNECTING ROAD SHITALLPUR TO ISLAMPUR, WB	West Bengal

5	KATIHAR DIVISION: RAIGANJ-BAMANGRAM CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO BR-11, AT KM 22/1-2, BETWEEN STATION RAIGANJ (RGJ) TO BAMANGRAM (BMGR)	West Bengal
6	KATIHAR DIVISION: KALIYAGANJ-DALIMGAON CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. BR-22, AT KM 41/9-0, BETWEEN STATION KALIYAGANJ TO DALIMGAON	West Bengal

[F. No. GSU/MISC/2026/9]

RAM MURTI MEENA, Chief Project Manager/Gatishakti/Katihar (LA)

अधिसूचना

मालीगांव, 28 जुलाई, 2026

का.आ. 4230(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खण्ड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) जिला के संबंध में पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण) / उत्तर दिनाजपुर	उत्तर दिनाजपुर

[फा. सं. जीएसयू/एमआईएससी/2026/9]

राम मूर्ति मीणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक /गतिशक्ति/कटिहार(LA)

NOTIFICATION

Maligaon, the 28th July, 2026

S.O. 4230.— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of in the State of West Bengal, Bihar relating to district Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1	Additional District Magistrate (LA), Uttar Dinajpur	Uttar Dinajpur

[F. No. GSU/MISC/2026/9]

RAM MURTI MEENA, Chief Project Manager/Gatishakti/Katihar (LA)